

कार्यालय इन्ड अभियन्ता  
(आय-व्यय अनुभाग)  
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-66/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा

लखनऊ: दिनांक : 01 मई, 2019

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजी लेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-118/2019/1464/19-27-सिं0-4-172(डब्ल्यू)परि0/06 दिनांक 30.04.2019 द्वारा "कनहर सिंचाई परियोजना" हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित बजट की धनराशि रु0 50000.00 लाख में से रु0 25000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के क्रम में सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:- (आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 20-कनहर सिंचाई परियोजना (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1013-सम्बद्ध कार्य (नाबार्ड) 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(कनहर) विन्ध्यांचल-मिर्जापुर।	25000.00

(रु0 दो अरब पचास करोड़ मात्र)

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक- 01 से 14 तक दिये नियमों/शर्तों का अक्षरशः अनुपालन किया जाय।

पुण्य प्रताप पाण्डेय  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-66 (1)/आई0बी0/तददिनांक:- 01/05/19

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
- 3- विशेष सचिव, सिंचाई अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख अभियन्ता (परियोजना) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (विन्ध्यांचल) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 6- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (अनुश्रवण)/(सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (कनहर) विन्ध्यांचल-मिर्जापुर को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 10- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 11- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 12- कट फाईल।

(अशोक कुमार सिंह)  
मुख्य अभियन्ता (बजट)  
प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग